Office of the Municipal Council Rampur Bushahr Distt. Shimla H.P.

No... ~~1849~~ ~~1849~~ 1833 - 1849 01850 Dated... 19/09/22

(E-PROCURBMENT NOTICE)

Short NOTICE INVITING TENDER/ INVITATION FOR BIDS (IFB)

The Executive Office on behalf of Municipal Council Rampur invites online bids item rates in electronic Tendering system, in 2 covers system for under mentioned works from the eligible and Govt. approved contractor/firms registered under Society Registration Act.

Sr. No	Name of Work	Estimated Cost	Earnest Money	Cost of Tender From	Time	Eligible class of contractor
1.	Cleaning, Sweeping of drains and streets, door to door segregation garbage collection all 09 wards of Municipal Council Rampur Distt. Shimla HP.	08, 50,000/- per month.	1,00,000/-	1500/-	~~One year~~ Six month	Having labor license

2. keys dates:			
1	Date of online publication	20.9.2022	At 09..00 AM
2	Documents download start date	21.9.2022	At 09..00 AM
3	Bid submission start date	21.9.2022	At 09..00 AM
4	Documents download close date	29.09.2022	At 12.00PM
5	Bid submission close date	30.09.2022	At 12.00PM
6	Physical submission of EMD and Cost of tender document date	01.10.2022	Up to 3.00PM
7	Date of opening of technical and financial Bid	01.10.2022	At 11.00AM on wards
	The bid documents are available online and bid should be submitted in online mode on website https:hptenders.gov.in		
3.	The tenders are required to upload and submit their e-tender for the above works through online only. The bidders are advised to obtain Digital Signature Certificate (DSC) from the suitable vendors or any authorized agency. All amendments, time extension, clarification etc .will be uploaded on the website only and will not be uploaded in the News Papers. The tenders should regularly visit the website to keep themselves updated.		

Tender Details:-

Cover 1: Shall contain scanned copies of all: Technical Documents/Eligibility information."

Cover 2: Shall contain "BOQ/Financial Bid" where contractor will quote his offer for each item.

3. SUBMISSION OF ORIGINAL DOUCMENTS: - The bidders are required to submit (a) original demand draft towards the cost of bid documents and (b) original bid security /Earnest Money Deposit (EMD) and other Technical Documents in O/o Executive Officer MC Rampur as specified in Key Dates Sr. No.vi, failing which the bid will be declared Non responsive.

4. Having EPF, ESIC, GST and PAN Etc.

O/C

Executive Officer,
Municipal Council, Rampur Bsr.
Dated............

Endst No. MCS-Tender-2022

Copy to:-

1. The Director Urban development HP for information.
2. The Labour Officer labour department Rampur bsr for information.
3. The Sub Divisional Officer Rampur bsr for information.
4. Junior Engineer MC Rampur for information and take all the necessary steps and action time to time.
5. The Senior Editor, Divya himachal Rampur Bsr Shimla for wide publicity (Rs.4000) and Mention GST Number in the bill of MC Rampur (GST No.02AAALM0590P1ZX).
6. All the contractor through Municipal Council Notice Board for information.
7. President/Vice-President and all councilor and nominated councilor for information.
8. The Senior Editor, Amar Ujala Rampur Bsr Shimla for wide publicity (Rs.4000) and Mention GST Number in the bill of MC Rampur (GST No.02AAALM0590P1ZX).

Executive Officer,
Municipal Council, Rampur Bsr.

MUNICIPAL COUNCIL RAMPUR BUSHAHR
कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद रामपुर बुशहर जिला शिमला हि0प्र0
नियम व शर्ते बाबत सफाई कार्य ठेका

1.नगर परिषद रामपुर के सफाइ एंवम डोर टु डोर ठेका अवधि स्त्रोत 6 माह तक की होगी। उक्त कार्य कार्य आदेश मिलने के तीन दिन के अन्दर–अन्दर शुरु करवाना होगा। ठेकेदार को धरोहर राशि के रुप में **1,00,000/–** रु नगर परिषद के कार्यालय में जमा करवानी होगी तथा ठेकेदार की वार्षिक टर्न ओवर 3 करोड़ /रुपये होना अनिवार्य है।

2. ठेकेदार श्रम विभाग से पंजीकृत होना चाहिए एवम् ठेकेदार के पास उक्त कार्य का 6 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है। **इसके साथ साथ परिषद द्वारा ब्लैकलिस्ट किए गए ठेकेदारों को ये कार्य नही दिया जाएगा (जिसका किसी भी तरह का देय बचा है उन्हें भी कार्य नही दिया जाएगा)**

3. ठेकेदार को नगर परिषद क्षेत्र के अतंर्गत आने वाले व्यापारिक प्रतिष्ठानों, आवासीय परिसरों में रास्तों, गलियों, नालियों/नालों की सफाई हेतु एवम डोर टू डोर कूड़ा कचरा एकत्रित करने हेतु 70 सफाई कर्मचारी,उपलब्ध करवाने होंगे**(जिसमें 1 डाटा ओपेरटर और 1 सुपरवाइजर भी शामिल होगे**)। जिसमें हर वार्ड में जरूरत के हिसाब से हिसाब से काम लिया जावेंगा ।

4. ठेकेदार को नगर परिषद क्षेत्र में अपने सफाई कर्मचारियों से सफाई कार्य के साथ–साथ लोगों के घरों /दुकानों /होटलों/कार्यालयों इत्यादि से प्रतिदिन गीला व सूखा एवम् हानिकारक कूड़ा कचरा अलग–अलग से एकत्रित करवाकर कूडा कचरा प्रबंधन सयंत्र पर ले जाना होगा व गीले–सूखे एवम हानिकारक कचरे का निष्पादन ठोस कूडा कचरा प्रबंधन नियम 2016 के अर्न्तगत करवाना होगा।

5. नगर परिषद क्षेत्र में कोई भी सार्वजानिक/धार्मिक कार्यकम होता है तो उस क्षेत्र का सफाई कार्य भी ठेकेदार को करवाना होगा।

6. ठेकेदार या ठेकेदार द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक को प्रतिदिन नगर परिषद कार्यालय में आकर सफाई सम्बन्धित शिकायतों को प्रति जानकारी प्राप्त कर उनका निपटारा करवाना होगा।

7ठेकदार द्वारा अपने नियुक्त सभी सफाई कर्मचारियों को सुरक्षा उपकरण जैसे मास्क ,गल्वस,गम बुट,वर्दी व अन्य सभी सफाई उपकरण (झाडु, वेलचा, पंजा , रेहडी इत्यादि) जो उपरोक्त कार्य में प्रयोग किए जाएंगे उपलब्ध करवाने होंगे।

8. नगर परिषद क्षेत्र में ठेकेदार को नियुक्त सफाई कर्मचारियों से सफाई एंवम डोर टू डोर का कार्य सुबह 06:00 से 11:00 बजे व दोपहर 02:00 से 05:00 बजे तक करवाना होगा।

9. ठेकेदार द्वारा नियुक्त सभी सफाई कर्मचारी /चालक यदि किसी व्यक्ति के साथ अभद्र व्यवहार करतें हैं या उनके साथ कोई दुर्घटना होती है तो उसके प्रति ठेकेदार स्वंय ही जिम्मेवार होंगा।

10. ठेकेदार को अदायगी हेतु अपने कर्मचारियों का ई0पी0एफ0 चालान प्रतिमाह कार्यालय में जमा करवाना अनिवार्य होगा।

11. ठेकेदार को ठेका अवधि से पूर्व छोडने की स्थिति में नगर परिषद को दो माह पूर्व सूचना देनी होगी अन्यथा अवेहलना होने की स्थिति में ठेकेदार का डिफालटर घोषित करके धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी।

12. ठेकेदार को नगर परिषद द्वारा समय समय पर दिए गए निर्देशों की अनुपालना करनी होगी। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वार जब भी दैनिक वेतन भोगियों की दिहाडी में बढौतरी की जाती है तो ठेकेदार को इसका अतिरिक्त भुगतान कर दिया जाएगा।

13.नगर परिषद क्षेत्र में कोई भी आवारा जानवर /पशु मृत पाया जाता है तो उसे उठाने व दवाने की जिम्मेवारी ठेकेदार की होगी।

14. ठेकेदार द्वारा अपने सभी सफाई कर्मचारियों एवम अन्य कर्मचारियों का छः माह में कम से कम एक बार चिकित्सा जांच करवाना अनिवार्य होगा, जिसकी सूचना कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।

15. ठेकेदार द्वारा कार्य पर लगाए गए कर्मचारियों की आयु 18 वर्ष से कम और 60 ~~साल से ज्यादा~~ नहीं होनी चाहिए। यदि इस तरह का कोई भी मामला सामने आता है तो तुरंत प्रभाव से ठेका रद्द कर प्रतिभूति राशि जब्त की जाएगी |

16.ठेकेदार को परिषद के कार्यालय, रेहान बसेरा और पुस्तकालय(वयाम्शाला)की सफाई का कार्य भी करना पड़ेगा |

17.ठेकेदार द्वारा नियुक्त कर्मचारियों की अनुपस्थित की स्थिति में उसकी दिहाड़ी ठेकेदार के बिल से काटी जाएगी।

18.ठेकेदार को ठेका लेने के उपरान्त 10 दिन के अन्दर नगर परिषद के साथ अनुबंध करना होगा अन्यथा करना होगा अन्यथा अवेहलना होने की स्थिति में धरोहर राशि जब्त करके ठेका रद्द कर दिया जाएगा।

19 आयकार के अलावा अन्य जो भी टैक्स देय होगा वह ठेकेदार द्वारा स्वंय अदा किया जाएगा।

20. ठेकेदार का ठेका अवधि से पूर्व बिना कोई कारण बताए रद्द करने का अधिकार नगर परिषद के पास सुरक्षित रहेगा।

21. किसी भी विवाद का निपटारा स्थानीय न्यायलय में ही होगा।

22. सफाई एवम डोर टू डोर के कार्य हेतू कर्मचारियों की संख्या आवश्यकता अनुसार बढाई जा सकती है, जिसका अतिरिक्त भुगतान ठेकेदार को कर दिया जाएगा।

23 ठेकेदार द्रारा आयकर ,ई पी एफ, जी एस टी, और ई एस आई, return कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा (पिछले 3 वर्षो के)।

24 अन्य किसी प्रकार की जानकारी हेतु कभी भी कार्यालय में 10:00 से 5:00 बजे कार्य दिवस में ले सकते है।

25 ठेकेदार द्रारा कार्य में 45 पुरष और 25 महिलाओं को लगाना पड़ेगा |

नोट :- नगर परिषद रामपुर कार्य संतोषजनक ना होने पर या फिर किसी भी तरह की शिकायत प्राप्त होने पर ठेका रद्द कर सकता है और ठेकेदार की प्रतिभूति राशि भी जब्त कर सकता है |

Vice President
Municipal Council
Rampur Bushahr

Junior Engineer
Municipal Council
Rampur Bsr.

Executive Officer
Municipal Council
Rampur Bushahr (H.P.)
कार्यकारी अधिकारी,
नगर परिषद,
रामपुर बुशहर ।

President
Municipal Council
Rampur Bushahr